रमेश के. शर्मा और अन्य

विरूद्ध

राजस्थान सिविल सेवा एवं अन्य।

23 नवंबर 2000

[जी.बी. पटनायक और बी.एन. अग्रवाल, जे.जे.]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1995 का सिविल अपील संख्या **6298-99**

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक **31.3.95** से डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. **1995** की संख्या **805**

1995 की सिविल अपील संख्या **9146**।

राजीव धवन,अतुल वाई. चितले, राकेश सिन्हा और एस.ए. चितले, अपीलकर्ताओं की ओर से।

पी.पी. राव, सुशील कुमार जैन, ए.पी. धमीजा और सुश्री संध्या गोस्वामी, प्रतिवादियों की ओर से।

<u>न्यायालय का फैसला पटनायक, जे. द्वारा सुनाया गया।</u>

जी.बी पटनायक, जे.

ये अपीलें राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधीकरण द्वारा विभिन्न मामलों में घोषित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिकाओं के एक समूह में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा घोषित एक सामान्य निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है। इन अपीलों में दो स्रोतों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता की चिरस्थाई समस्या सामने आई है, लेकिन वर्तमान मामलों में विवाद सीधी भर्ती और अधिशेष व्यक्तियों के बीच है, जिन्हें बिक्री कर विभाग में बिक्री कर अधिकारी के रूप में अधिशेष कार्मिको के अवशोषण नियम, 1969 ; इसके बाद (आमेलन नियम के रूप में संदर्भित) के तहत समाहित किया गया है। अपीलकर्ता वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हैं और उक्त पद पर भर्ती संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है जिसे राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम 1975 कहा गया है। आगे

इसे “भर्ती नियम” कहा जाएगा। यहां निजी उत्तरदाताओं को भूमि और भवन कर विभाग में नियुक्त किया गया था और उन्हें अधिशेष कर्मियों के रूप में पाया गया था, उन्हें सहकारी विभाग के तहत बाद में, अवशोषण नियमों के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षकों के रूप में अवशोषित कर लिया गया था। अधिशेष कर्मचारी, जिसे उस सेवा में स्थायी पद पर नियुक्त किया गया है जिसमें वह समाहित है और जो मूल विभाग में हैं, उनके बीच पारस्परिक वरिष्ठता अवशोषण नियमों के नियम 15 के तहत निर्धारित की जानी आवश्यक है। उक्त नियमों के तहत जिस पद पर आमेलन होता है, उस पद की तुलना में उस पद पर निरंतर मूल सेवा की लंबी अवधि मानदंड है। भूमि एवं भवन कर विभाग में मूल रूप से नियुक्त निजी उत्तरदाताओं को, आमेलन नियमों के तहत बिक्री कर विभाग में उनके अवशोषण पर, उक्त नियमों के नियम 15 के तहत उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या पद भूमि एवं भवन कर विभाग में उनके पास जो पद थे, वे वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद के तुलनीय हैं और यदि हां, तो क्या भूमि एवं भवन कर विभाग में प्रारंभ से ही इस पद पर उनकी नियुक्ति, सारभूत प्रकृति की थी या बाद के समय से मूल बन गई और परिणामस्वरूप उस सेवा की किसी अवधि को अवशोषण नियमों के नियम 15(1) के संदर्भ में पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जा सकता है। भूमि और भवन कर विभाग वर्ष 1973 में बनाया गया था और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष योजना के तहत प्रशिक्षु निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी एक विज्ञापन के अनुसार, निजी उत्तरदाताओं को 17.8.1973 को रू 150 रुपये प्रतिमाह एक निश्चित वेतन पर 01.03.1974 को नियुक्त किया गया था। ऐसे प्रशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उक्त भूमि एवं भवन कर विभाग के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी निरीक्षक के अस्थायी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। आदेश दिनांक 4.5.1976 द्वारा राजस्थान राज्य ने “परिवीक्षा पर” शब्द को “अस्थायी” शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया और इस प्रकार, निजी उत्तरदाताओं को 1.3.1974 से अस्थायी आधार पर नियुक्त माना गया। राजस्थान लोक सेवा

आयोग द्वारा 1975 के भर्ती नियमों के तहत चयनित अपीलकर्ताओं क्रमांक 1 से 4 को आदेश दिनांक 19.12.1977 द्वारा परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर निरीक्षक ग्रेड 2 के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ताओं क्रमांक 5 से 10 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1976 के विशेष भर्ती नियमों के तहत चयनित किया गया था और 28.7.1977 को वाणिज्यिक कर निरीक्षक ग्रेड 2 के पद पर नियुक्त किया गया था। सभी अपीलकर्ताओं को दिनांक 5.5.1982 के आदेश द्वारा 1.3.1980 से वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्रेड 2 के उक्त पद पर स्थायी कर दिया गया था। शहरी भूमि एवं भवन कर विभाग में जिन निजी उत्तरदाताओं को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया थाए उन्हें आदेश दिनांक 1.9.1981 द्वारा 27.02.1981 से स्थायी कर दिया गया, क्योंकि उक्त शहरी भूमि एवं भवन कर विभाग में 61 अस्थायी पद थे उन्हें 27.2.1981 से स्थायी कर दिया गया । आदेश दिनांक 26.4.1982 द्वारा निजी उत्तरदाताओं को भूमि और भवन कर विभाग में अधिशेष घोषित कर दिया गया और उक्त विभाग के तहत पद से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इनमें से कुछ अधिशेष कर्मचारियों को दिनांक 17.6.1982 के आदेश द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक ग्रेड 2 के रूप में समाहित कर लिया गया था और कुछ अन्य को दिनांक 25.6.1982 के आदेश द्वारा निरीक्षक ग्रेड 2 के रूप में सहकारी विभाग में समाहित कर लिया गया था। जिन लोगों को सहकारिता विभाग में समाहित किया गया था, उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग में अपने अवशोषण के लिए राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व किया और राजस्थान राज्य ने उन्हें चार अलग-अलग आदेशों दिनांक-17.08.1982, 20.01.1983, 04.03.1983 और 10.05.1983 द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में समाहित कर लिया। वाणिज्यिक कर निरीक्षकों के संघ ने अपने विभाग में उन कर्मचारियों के अवशोषण के खिलाफ राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो पहले से ही सहकारी विभाग में इस आधार पर समाहित किए गए थे कि निरीक्षक का कोई पद उपलब्ध नहीं था। वाणिज्यिक कर निरीक्षक ग्रेड 2 के संवर्ग में विभाग द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में, अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी अवशोषकों से वरिष्ठ दिखाया गया था ए जिन्हें उनके मूल विभाग भवन एवं भूमि

कर विभाग में अधिशेष पाए जाने पर अवशोषण नियमों के तहत समाहित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची 19.5.1993 को प्रकाशित की गई थी। निजी उत्तरदाताओं, जो मूल रूप से भूमि और भवन कर विभाग में भर्ती हुए थे और बाद में बिक्री कर विभाग में समाहित हो गए थे, ने उपरोक्त वरिष्ठता सूची और सौंपे गए पद पर आपत्ति जताते हुए सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण ; इसके बाद "न्यायाधिकरण कहा जाएगा" के समक्ष चुनौती दिया। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 31.5.1994 द्वारा 1987, 1990 और 1993 में तैयार की गई वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया। न्यायाधिकरण ने अवशोषण नियमावली के नियम 15 (1) के प्रावधानों की व्याख्या करने और नियुक्ति आदेशों को देखने पर निजी उत्तरदाताओं और उसके बाद भूमि और भवन कर विभाग में उनकी पुष्टि से पता चला कि उनकी नियुक्ति 1.3.1974 को स्थापना के समय से ही वास्तविक प्रकृति की थी और यह स्थिति होने के कारण, 1.3.1974 से उनकी सेवाएँ वरिष्ठता के उद्देश्य से गणना हेतु जारी रहेंगी। अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाएं दायर करके न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश की वैधता पर आक्षेप किया और उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। भंवर लाल मालाकार, जो वर्तमान निजी उत्तरदाताओं की तरह भूमि और भवन कर विभाग के तहत एक कर्मचारी थे और जिन्हें स्वयं अवशोषण नियमों के तहत उत्पाद शुल्क विभाग में समाहित कर लिया गया था, ने संपर्क किया था। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 1990 की रिट याचिका संख्या 1477 में उच्च न्यायालय ने दावा किया था कि 1.3.1974 से भूमि और भवन कर विभाग में उनकी सेवाओं को प्रकृति में मौलिक माना जाना चाहिए। और इस प्रकार उसे अवशोषण नियमों के नियम 15(1) के तहत उसकी वरिष्ठता के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय उस मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि भूमि और भवन कर विभाग में नियुक्ति एक विधिवत गठित समिति द्वारा नियमित चयन के बाद की गई थी, हालांकि एक अस्थायी पद के खिलाफ जब तक कि पद स्थायी नहीं हो गया और पदधारी भी उसके बाद स्थायी हो गया यह माना जाना चाहिए कि नियुक्ति एक वास्तविक प्रकृति की थी और इस

प्रकार श्री मालाकार की सेवाएं 1.3.1974 से अवशोषण नियमावली के नियम 15(1) के तहत उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से गणना की जानी है। इस न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके उपरोक्त निर्णय की पुष्टि की गई थी। वर्तमान मामले में, सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण ने विभाग द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए, मालाकार मामले में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले का पालन किया।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव धवन ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि 1.3.1974 को भूमि और भवन कर विभाग में निजी उत्तरदाताओं की प्रारंभिक नियुक्ति को तदर्थ नियुक्ति नहीं माना जा सकता है, अवशोषण नियमों के नियम 3(ए) के संदर्भ में , और इसलिए न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने अवशोषण नियमों के नियम 15(1) के तहत उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए 1.3.1974 से अवधि की गणना करने में त्रुटि की और इस प्रकार न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए। श्री धवन ने आगे यह भी तर्क दिया कि अवशोषण नियमों के तहत निजी उत्तरदाताओं का अवशोषण नियम 7 में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है ए न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने अवशोषण नियमावली के नियम 15(1) ऐसे अनियमित अवशोषणकर्ताओं की वरिष्ठता निर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की है। श्री धवन ने यह भी आग्रह किया कि अवशोषण नियमों के तहत उनके अवशोषण से पहले अधिशेष कर्मियों द्वारा धारण की जा रही सेवाओं की स्थिति और चरित्र को तय करने में नियम 7 में दिए गए संकेतों के मद्देनजर, अवशोषण की प्रकृति से ही अपना रंग प्राप्त करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से निर्णय लेने पर, यह निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है कि भूमि और भवन कर विभाग में निजी उत्तरदाता वास्तविक आधार पर कोई पद धारण नहीं कर रहे थे और परिणामस्वरूप, अवशोषण नियमों के तहत उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से 27.2.1981 को उनके स्थायी होने से पहले की किसी भी अवधि की गणना नहीं की जा सकती थी। श्री धवन ने अंततः यह भी आग्रह किया कि भूमि

और भवन कर विभाग में इन निजी उत्तरदाताओं की नियुक्ति, किसी भी नियम के तहत नहीं की गई है, वह नियमों से परे हैए ऐसी नियुक्ति उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं मानी जाएगी।

दूसरी ओर, अवशोषित कर्मचारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीपी राव ने तर्क दिया कि भूमि और भवन कर विभाग में इन उत्तरदाताओं द्वारा धारण किए गए पद की प्रकृति और स्थिति मालाकार मामले में पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और वह इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने से निर्णय अंतिम हो गया है परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि 1.3.1974 से निजी उत्तरदाताओं की नियुक्ति एक ठोस प्रकृति की थी और इस तरह, अवशोषण नियमावली के नियम 15(1) के तहत उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से गिना जाएगा। श्री राव ने यह भी कहा कि इन उत्तरदाताओं को चयन की प्रक्रिया द्वारा चुना गया है और चयनित होने पर नियुक्त किया गया है और उसके बाद स्थायी कर दिया गया है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनकी प्रारंभिक भर्ती की तारीख से उनकी सेवाएं क्यों नही गणना की जाएंगी। उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए कानून और इक्विटी दोनों में, सेवा की पूरी अवधि को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए। श्री राव ने यह भी आग्रह किया कि इस न्यायालय ने लगातार यह कहा है कि जहां अस्थायी पद वास्तव में लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, तो ऐसे पदों पर स्थानापन्न सेवा वरिष्ठता के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए होती है, साथ ही नियमित आधार पर सेवा के रूप में भी अच्छी होती है और यही स्थिति है। मौजूदा मामले में, जब भूमि एवं भवन कर विभाग में पदों को ही स्थायी कर दिया गया है और पदधारियों को भी स्थायी कर दिया गया है, तो इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति की तिथि से स्थायीकरण की तिथि तक उनकी सेवाओं को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं होगा। वरिष्ठता के आधार पर और नियम 15(1) के संदर्भ में, उक्त अवधि को प्रकृति में ठोस नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अप्राप्य रहता है।

उभयपक्ष के तर्कों को देखते हुए जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार की आवश्यकता है वह यह है कि अभिव्यक्ति "मौलिक सेवा" का क्या अर्थ है और क्या भूमि और भवन कर विभाग के तहत निजी उत्तरदाताओं की सेवाएं 01.03.1974 को वास्तविक सेवा माना जा सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस पद पर निजी उत्तरदाताओं को 1.3.1974 से अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया थाए वह पद 27.2.1981 के आदेश द्वारा स्थायी हो गया और इन सभी निजी उत्तरदाताओं को भी 01.09.1981 के आदेश द्वारा नियुक्ति की तिथि से स्थायी कर दिया गया। मुद्दे के मुद्दे की बेहतर समझ के लिए अवशोषण नियमों का नियम 15 यहां विस्तार से दिया गया है| "15, वरिष्ठता. (1) जिस सेवा या संवर्ग में वह समाहित है, उसमें स्थायी पद पर नियुक्त अधिशेष कर्मचारी की वरिष्ठता संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे नई सेवा या विभाग के कनिष्ठतम स्थायी कर्मचारी से नीचे रखकर निर्धारित की जाएगी। जिसके पास समकक्ष या उच्च पद पर अधिशेष कर्मचारी की निरंतर मूल सेवा की तुलना में पद पर निरंतर मूल सेवा की लंबी अवधि है। स्थानापन्न आधार पर उच्च पदों पर आमेलित अधिशेष कर्मचारी की वरिष्ठता केवल उसके स्थायी पद के संबंध में निर्धारित की जाएगी|

कनिष्ठतम स्थायी कर्मचारी की मूल या स्थानापन्न क्षमता या ऐसी दोनों क्षमताओं में निरंतर सेवा की अवधि से कम है या नए विभाग का संवर्ग जिसमें ऐसे अधिशेष कर्मचारी को समाहित किया गया है, उस सेवा या संवर्ग या उस विभाग में जिसमें अधिशेष कर्मचारी को समाहित किया गया है, उक्त कनिष्ठतम स्थायी कर्मचारी के ठीक नीचे अधिशेष कर्मचारी को रखकर निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन किसी विभाग सेवा संवर्ग या इकाई में समाहित अधिशेष कर्मचारियों और नए विभाग की सेवा संवर्ग के कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता उस सेवा या संवर्ग में उच्च पद पर पदोन्नति के लिए हो, जिसमें वह है समाहित कर लिया गया है, उसका निर्धारण संबंधित पद के किसी वर्ग या श्रेणी में या समकक्ष या उच्च पद पर निरंतर स्थानापन्नता की तिथि के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा स्थानापन्न आकस्मिक प्रकृति

का या तदर्थ या तत्काल अस्थायी नियुक्ति न होए भले ही उनके कई वर्ष पर्याप्त रहे हों। विभिन्न कैडर पद या सेवा में नियुक्ति या पुष्टिकरण की तारीख या निरंतर मूल सेवा की अवधि।

(2) अस्थायी या तदर्थ क्षमता में किसी नए पद पर नियुक्त अधिशेष कर्मचारी की वरिष्ठता उसकी वास्तविक आधार पर नियुक्ति लंबित रहने तक, निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी |

(ए) किसी नए पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त अधिशेष कर्मचारी के मामले में, जिस सेवा या संवर्ग में वह समाहित है, उसी पद पर कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के बीच उसकी वरिष्ठता उसे नई सेवा के अस्थायी कर्मचारी के ठीक नीचे रखकर निर्धारित की जाएगी या कैडर जिसने समान समकक्ष या उच्च पद पर अधिशेष कर्मचारी की निरंतर अस्थायी सेवा की तुलना में लंबी अवधि की निरंतर अस्थायी सेवा प्रदान की है।

(बी) किसी नए पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिशेष कर्मचारी के मामले में, जिस सेवा या संवर्ग में वह समाहित है, उसी पद पर कार्यरत तदर्थ कर्मचारी के बीच उसकी वरिष्ठता उसे तदर्थ कर्मचारी के ठीक नीचे रखकर निर्धारित की जाएगी। नई सेवा या कैडर का, जिसने समान, समकक्ष या उच्च पद पर अधिशेष कर्मचारी की निरंतर तदर्थ सेवा की तुलना में तदर्थ आधार पर लंबी अवधि की निरंतर सेवा प्रदान की है|

बशर्ते कि किसी संवर्ग या सेवा में सभी मूल कर्मचारी, जिसमें उसमें समाहित किए गए मूल अधिशेष कर्मचारी भी शामिल हैं, ऐसे संवर्ग या सेवा में इन नियमों के तहत नियुक्त या अवशोषित किए गए अस्थायी कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे और ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारी नियुक्त या अवशोषित किए गए सभी तदर्थ कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे।

बशर्ते कि किसी संवर्ग या सेवा में किसी पद पर कर्मचारी की वरिष्ठता, जिसमें उसमें समाहित किए गए अधिशेष कर्मचारी भी शामिल हैं और जो 11.12.1969 को या उससे पहले ऐसे पदों पर कार्यरत थे, संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। परस्पर

वरिष्ठता किसी अन्य सेवा या संवर्ग में नए पदों पर नियुक्ति पर वही होगी जो पूर्व सेवा या संवर्ग में थी।

निजी उत्तरदाताओं को वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्रेड 2 के रूप में समाहित किया गया है वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्रेड 2 के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता उपरोक्त नियम 15 (1) के आधार पर निर्धारित की जानी होगी। यह भी विवादित नहीं है कि ये निजी उत्तरदाता भूमि एवं भवन कर विभाग के अंतर्गत जिस पद पर थे, वह वाणिज्यिक कर निरीक्षक ग्रेड 2 के पदों के समकक्ष पद थे। इसलिए, एकमात्र प्रश्न के लिए निर्णय की आवश्यकता है कि क्या ये निजी उत्तरदाता 1.3.1974 से निरंतर मूल सेवा में थे या उन्हें 27.2.1981 से स्थायी किए जाने के बाद ही निरंतर मूल सेवा में रखा जाएगा। सेवा न्यायशास्त्र में कोई पद अस्थायी हो सकता है या स्थायी हो सकता है या किसी निश्चित आकस्मिकता को पूरा करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जा सकता है। यदि किसी पदधारी को चयन की उचित प्रक्रिया के बाद किसी अस्थायी पद या स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है और ऐसी नियुक्तिए स्टॉपगैप या आकस्मिक नहीं होती है, तो उसे वास्तविक आधार पर माना जा सकता है। लेकिन यदि पद किसी विशेष आकस्मिकता को पूरा करने के लिए केवल सीमित अवधि के लिए बनाया गया हैए और उस पर नियुक्ति किसी चयन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि स्टॉपगैप आधार पर की जाती है तो ऐसी नियुक्ति को ठोस आधार पर नहीं माना जा सकता है। अभिव्यक्ति "मौलिक आधार" का प्रयोग सेवा न्यायशास्त्र में तदर्थ या विशुद्ध रूप से स्टॉपगैप या आकस्मिक के विपरीत किया जाता है। बालेश्वर दास बनाम यूपी राज्य 1980 4 एससीसी 226 में इस न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी पद को अनिश्चित काल के लिए, विशेष रूप से लंबी अवधि के लिए उस व्यक्ति के विपरीत रखता है जो इसे एक निश्चित या अस्थायी अवधि के लिए रखता है या परिवीक्षा पर रखता है। यह माना जाना चाहिए कि वह एक महत्वपूर्ण पद पर था। इसके अलावा, यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उचित प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति की जाती है और यदि उसमें परिवीक्षा अवधि निर्धारित

की गई है, तो परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उसकी नियुक्ति को आगे मंजूरी दे दी जाती है, तब भी यह कहा जा सकता है कि वह पर्याप्त क्षमता में एक पद धारण किया। बालेश्वर दास मामले में इस निर्णय का इस न्यायालय ने ओपी सिंगला मामले ओपी सिंगला बनाम भारत संघ ए 1984 4 एससीसी 450 में पालन किया था। सेवा न्यायशास्त्र में यह भी काफी स्पष्ट है कि एक स्थायी पद के बीच अंतर मौजूद होता है जो अस्थायी पद से भिन्न होता है और इन पदों पर पदधारी की नियुक्ति या तो मूल आधार पर या तदर्थ या स्टॉपगैप आधार पर की जा सकती है। यह कानूनी स्थिति है और इस मामले में निजी उत्तरदाताओं की भूमि और भवन कर विभाग में पद पर प्रारंभिक नियुक्ति निर्धारित परीक्षण के अधीन होने और प्रारंभिक रूप से परिवीक्षा पर उनकी नियुक्तियां करने के बाद चुने जाने के बाद की गई है। और उसके बाद नियुक्ति की शर्तों से परिवीक्षा शब्द को बाहर करना और उन्हें अस्थायी रूप से बनाए गए पद पर तब तक जारी रखना जब तक कि पदों को स्थायी नहीं कर दिया गया और फिर पदधारियों को भी स्थायी नहीं कर दिया गया, यह माना जा सकता है कि इन निजी उत्तरदाताओं ने लगातार पद संभाला था। भूमि और भवन कर विभाग में वास्तविक आधार पर पद, जो पद वाणिज्यिक कर निरीक्षक ग्रेड 2 के पद के बराबर है जिसमें इन निजी उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था, और परिणामस्वरूपए सीधे भर्ती किए गए अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर निरीक्षक ग्रेड 2 के पद पर और जिन उत्तरदाताओं ने 1.3.1974 से प्रभावी आधार पर भूमि और भवन कर विभाग में समकक्ष पद धारण किया था, उस तिथि से निरंतर मूल सेवा की गणना की जानी होगी। वास्तव में मालाकार मामले में जो निजी उत्तरदाताओं के साथ भूमि और भवन कर विभाग में एक अस्थायी भर्ती भी था और उच्च न्यायालय के उक्त निष्कर्ष को अंततः इस न्यायालय द्वारा उसी के खिलाफ इन विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए बरकरार रखा गया। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय ने मामले के सार अर्थात् आसपास की परिस्थितियों, तरीका और तरीके और नियुक्ति की अवधि और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों की जांच की थी। मौजूदा मामले में

सीधी भर्ती अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई है कि इन निजी उत्तरदाताओं को एक विधिवत गठित समिति द्वारा नियमित चयन के बाद भूमि और भवन कर विभाग में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त परिस्थिति में, हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भूमि और भवन कर विभाग में प्रतिवादी की नियुक्ति 1.3.1974 से प्रभावी आधार पर थी।

निस्संदेह, डॉ. राजीव धवन ने यह तर्क उठाया था कि इन उत्तरदाताओं का अवशोषण, अवशोषण नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसके अनुसार कोई अवशोषण समिति गठित नहीं की गई थी। अवशोषण नियमावली के नियम 5 के साथ नियम 7 में अवशोषण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यदि ये तथ्य होते तो सीधी भर्ती वाले लोग वाणिज्यिक कर अधिकारी ग्रेड 2 के कैडर में निजी उत्तरदाताओं के अवशोषण पर आक्षेप कर सकते थे लेकिन किसी भी समय निजी उत्तरदाताओं के अवशोषण पर आक्षेप नहीं किया गया था और जो आक्षेप किया गया था वह सीधे भर्ती किए गए और ऐसे अवशोषित कर्मचारियों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण है । इसके अलावा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों की जांच की गई, विशेष रूप से राजस्थान सरकार, प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 25.6.1982 का दस्तावेज़, जिसमें अधिशेष कर्मचारियों के अवशोषण के साथ-साथ उक्त विभाग के दस्तावेज़ की भी जांच की गई। इसी तरह के अवशोषण के लिए जिसमें यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि संबंधित समिति ने अधिशेष कर्मचारियों के अवशोषण के प्रश्न को स्वीकार कर लिया है, हमें उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन के उक्त निवेदन में अपीलकर्ताओं के पक्ष में कोई तथ्य नहीं मिला।

डॉ. राजीव धवन ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया था कि भूमि एवं भवन कर विभाग में उत्तरदाताओं की नियुक्तियाँ अवशोषण नियमावली के नियम 3 के अर्थ के अंतर्गत तदर्थ होंगी। उक्त नियम को यहां विस्तार से उद्धृत किया गया है|

3. परिभाषाएँ. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होय

a. 'तदर्थ नियुक्ति' का अर्थ प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत प्रदान की गई भर्ती की किसी भी विधि द्वारा उम्मीदवार के चयन के बिना की गई अस्थायी नियुक्ति है या सरकार के किसी भी आदेश से की गयी हो जहां कोई सेवा नियम मौजूद नहीं हैं और यदि पद इसके दायरे में है तो आयोग की सिफारिशों से की गयी हो।

b. 'नियुक्ति प्राधिकारी' का अर्थ है किसी विशेष पद पर लागू राज्य के सेवा नियम द्वारा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी और जहां परिभाषित नहीं हैए जैसा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमों 1958 द्वारा परिभाषित या गठित है, 'समिति' का तात्पर्य इन नियमों के नियम 5 के तहत सरकार द्वारा गठित अवशोषण समिति से है;

c. 'आयोग' का तात्पर्य राजस्थान लोक सेवा आयोग से है;

d. 'विभागीय परीक्षा' का तात्पर्य राजस्थान सिविल सेवा ;विभागीय परीक्षाद्ध नियम 1959 के प्रावधानों के तहत आयोजित विभागीय परीक्षा से है;

e. 'समान पद' का अर्थ समिति द्वारा अधिशेष घोषित किए जाने से ठीक पहले अधिशेष कार्मिक द्वारा धारित पद के बराबर घोषित किया गया पद है;

f. 'समकक्ष पद' का अर्थ है समान समय वेतनमान वाला और समान प्रकृति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों वाला पद;

g. 'सरकार और राज्य' का तात्पर्य क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य से है;

h. पद का अर्थ वह पद है जिस पर अधिशेष कर्मचारी को इन नियमों के तहत अवशोषण द्वारा नियुक्त किया जाता है;

i. 'पिछला पद' का अर्थ अधिशेष कर्मचारी द्वारा उसके अधिशेष घोषित होने की तिथि पर स्थायी स्थानापन्न अस्थायी या तदर्थ क्षमता में धारित पद है;

j. नियमित रूप से नियुक्तश् का अर्थ है आयोग की सिफारिशों पर नियुक्त व्यक्तिए यदि पद इसके दायरे में हैं और पद या सेवा में भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तिए जैसा भी मामला होए इसमें कोई तदर्थ या अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न नियुक्ति शामिल नहीं है जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा समीक्षा और संशोधन के अधीन है;

k. अनुसूची का अर्थ इन नियमों से जुड़ी अनुसूची है;

l. 'अतिरिक्त कार्मिक' अथवा अधिशेष कर्मचारी से अभिप्राय उस सरकारी सेवक से है, जिस पर राजस्थान सेवा नियमए 1951 लागू होता है तथा जिसे सरकार द्वारा अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के निर्देशों के तहतरूसरकार के किसी विशेष विभाग की आवश्यकताओं में पदों की कटौती या कार्यालयों के उन्मूलन के कारण, अर्थव्यवस्था के उपायों के रूप में या प्रशासनिक आधार पर अधिशेष घोषित किया जाता है। लेकिन जिनके मामले में सरकार उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं करने बल्कि उन्हें अवशोषण द्वारा सेवा में बनाए रखने का निर्णय लेती है। बशर्ते कि भर्ती के सामान्य तरीकों के अपवाद के रूप में या सेवा के प्रारंभिक संविधान के रूप में स्क्रीनिंग द्वारा उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों के तहत नियुक्त समितिए तीन साल से अधिक की सेवा वाले किसी भी कर्मचारी के लिए अनुग्रह राशि की सिफारिश कर सकती है। जिस पद के लिए उसकी जांच की जानी हैए उसे उपयुक्त नहीं माना गया है और यदि उसके बाद उसे निचले पद पर नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है तो ऐसे निचले पद के लिए उसे अवशोषण द्वारा पेश किया जाएगा और उसके बाद ऐसे कर्मचारी को अधिशेष कर्मचारी के रूप में माना जाएगा। इन नियमों के प्रावधानों और ऐसे व्यक्ति को समिति की सिफारिशों पर उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निचले पद पर समाहित किया जा सकता है;

m. अस्थायी नियुक्ति का अर्थ है तदर्थ नियुक्ति के अलावा किसी अस्थायी या स्थायी पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति;

n. 'रिक्त पद' का अर्थ सरकार के अधीन एक ऐसा पद है जो किसी सरकारी कर्मचारी के पास मूल रूप से नहीं है।

o. 'मौलिक नियुक्ति' का अर्थ इन नियमों के प्रावधानों के तहत इन नियमों के तहत निर्धारित भर्ती के किसी भी तरीके से उचित चयन के बाद एक मूल रिक्ति पर की गई नियुक्ति है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति शामिल है|

टिप्पणी: इन नियमों के तहत निर्धारित भर्ती के किसी भी तरीके से उचित चयन में तत्काल अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर सेवा के प्रारंभिक गठन पर या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रख्यापित किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसार भर्ती शामिल होगी।

विद्वान वकील के अनुसार चूंकि भूमि और भवन कर विभाग के तहत पद पर भर्ती के लिए कोई प्रासंगिक सेवा नियम नहीं था इसलिए यह माना जाना चाहिए कि ऐसी नियुक्ति बिना किसी चयन के की गई है और इस तरह नियुक्ति 'विज्ञापन' की अभिव्यक्ति को आकर्षित करेगी। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं क्योंकि अभिव्यक्ति 'सेवा नियम' का मतलब जरूरी नहीं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम हों। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी सेवा में भर्ती के तरीके सहित सेवा की स्थिति को क्षेत्र में किसी वैधानिक नियम के अभाव में प्रशासनिक आदेश के एक सेट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह स्थिति है, और जब भूमि और भवन कर विभाग में पद भरने के लिए विज्ञापन की जांच की जाती है तो यह स्पष्ट होगा कि उक्त विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताए आवेदक की आयु, रिक्तियों की संख्या और भर्ती का तरीका। आगे यह निर्धारित किया गया कि उम्मीदवारों का चयन सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी की लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर होगा।

उपरोक्त नियम में सक्षम कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा पद पर भर्ती के तरीके का स्पष्ट उल्लेख करते हुएए डॉ॰ राजीव धवन के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निजी उत्तरदाताओं की नियुक्तियाँ बिना किसी चयन के की गई हैं। डॉण् राजीव धवन ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि नियम 3 (ए) में परिभाषा का दूसरा भाग भी मौजूदा मामले पर लागू होगा क्योंकि भूमि और भवन कर विभाग में निजी उत्तरदाताओं की अस्थायी नियुक्ति आदेश द्वारा की गई थी। सरकार की ओर से जिसके लिए कोई सेवा नियम नहीं थे इस प्रकार, नियुक्ति तदर्थ नहीं हो सकती। नियम 3 (ए) के दूसरे भाग की सही व्याख्या पर भी यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे भाग को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा (1) नियुक्ति के लिए कोई सेवा नियम मौजूद नहीं है (2) नियुक्ति सरकार के आदेशों के तहत की जाती हैए और (3) ऐसी नियुक्ति अन्यथा की जाती है, यदि पद आयोग के दायरे में आता है तो आयोग की सिफारिश। यह किसी का मामला नहीं है कि भूमि और भवन कर विभाग में विशेष योजना के तहत बनाए गए पद जिनमें निजी उत्तरदाताओं की भर्ती की गई थी, सेवा आयोग के दायरे में आते हैं। ऐसे मामले में यदि कोई सेवा नियमावली नहीं है तो सरकार के आदेश से उस पद पर नियुक्ति की जाती है तो भी आमेलन नियमावली के नियम 3 (ए) के तहत यह तदर्थ नियुक्ति नहीं होगीण् लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा हैए उक्त शब्द की परिभाषा के अभाव में अभिव्यक्ति 'सेवा नियम' को प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता है और इसलिए इसमें भर्ती की विधि प्रदान करने वाला आवश्यक सरकारी आदेश शामिल होगा। मौजूदा मामले में हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकारी आदेश ने भर्ती की विधि निर्धारित की थी इसलिए हमारे लिए यह मानना मुश्किल होगा कि भर्ती की विधि प्रदान करने वाला कोई नियम मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप ए आमेलन नियमावली के नियम 3(ए) में निहित 'तदर्थ नियुक्ति' की परिभाषा का दूसरा भाग भी लागू नहीं होगा। इसलिएए डॉ॰ धवन का तर्क कायम नहीं रखा जा सकता।

धवन का अंतिम निवेदन: कि निजी उत्तरदाताओं, अधिशेष कर्मियों की सेवा की स्थिति और चरित्र, उनके अवशोषण से पहले अवशोषण की प्रकृति से ही अपना रंग प्राप्त करना चाहिए, जैसा कि नियम 7 में दर्शाया गया है। नियम 7 केवल अधिशेष कर्मियों के अवशोषण की प्रक्रिया प्रदान करता है। गठित आमेलन समिति अधिशेष कार्मिकों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए आवंटित करने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे कार्मिकों की नियुक्ति के आदेश या तो मूल आधार पर या स्थानापन्न आधार पर या अस्थायी या तदर्थ आधार पर जारी करना होता हैए जैसा कि नियम 7 में दर्शाया गया है। या नियम 7 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति के ऐसे आदेशों का यह निर्णय करने में कोई असर नहीं हो सकता है कि अधिशेष घोषित होने से पहले इन अधिशेष कर्मियों की सेवा की स्थिति और प्रकृति क्या थी। नियम 15 के प्रयोजन के लिए इस प्रश्न की जांच करना आवश्यक है कि क्या अवशोषित अधिशेष कर्मचारी उस पद पर थे जहां से उन्हें मूल आधार पर अधिशेष घोषित किया गया हैए और यदि हांए तो किस तारीख से। उस प्रश्न का उत्तर प्रासंगिक कारकों के आधार पर दिया जाना चाहिए जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी हैए अर्थात् पद की प्रकृतिए पद को भरने के लिए आयोजित परीक्षण या चयन की प्रकृतिए पदधारी द्वारा पद का लाभ उठाने की अवधि और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री। यह स्थिति होने के कारण हमें डॉ. राजीव धवन के अंतिम निवेदन में भी कोई तथ्य नहीं मिला ।

उपरोक्त परिस्थिति में, ये अपीलें विफल हो जाने के कारण बिना खर्च के खारिज की गयी।

अपील खारिज की गयी|

Santosh Kumar Tiwary